



No 013912

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

संख्या 2809

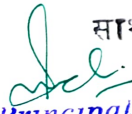
(ऐक्ट 21, 1860)

वर्ष 2009-2010

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि " विवेकानन्द विजन इंस्टीट्यूट
पिपुल्स फाउण्डेशन "

वत्स विहार, नीयर बाजार समिति, पो- दाउदनगर, जिला - औरंगाबाद
सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ हुई ।

आज तारीख पच्चीस मास मार्च वर्ष दोहजार को पटना में मेरे हस्ताक्षर के
साथ दिया गया ।


Principal
Vivekanand Vision Ideal Public School,
Bignanikanagar Yari
Deo-Anandpura Road
Aurangabad (Bihar)

संस्था निबन्धन अधिनियम 21, 1860 के
अधीन निबन्धित किया जाय संस्था का
जिम्मेदारता है ।


Chairman
Vivekanand Vision Ideal Public School,
Bignanikanagar Yari
Deo-Anandpura Road
Aurangabad (Bihar)